

राजस्थान सरकार  
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग  
कार्यालय मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, 6सी झालाना संस्थानिक क्षेत्र  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 581

जयपुर, दिनांक: 20.6.19

उप मुख्य/वरिष्ठ/ निरीक्षक  
कारखाना एवं बायलर्स  
ALL OFFICERS

विषय: राजस्थान एम.एस.एम.ई ऑर्डिनेंस, 2019 के अन्तर्गत बने राजस्थान एम.एस.एम.ई. नियम, 2019 के सम्बन्ध में ।

प्रसंग: सयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन का पत्र सं. प.23(3)श्रनि./2019-  
पार्ट दिनांक 13.06.2019

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एम.एस.एम.ई ऑर्डिनेंस, 2019 के अन्तर्गत राजस्थान एम.एस.एम.ई. नियम, 2019 दिनांक 24.05.2019 को जारी किए गये है। एम.एस.एम.ई उद्योगो को मैनुफैक्चरिंग सेक्टर व सर्विस सेक्टर में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है-


Manufacturing Sector	
Enterprises	Investment in plant & machinery
Micro Enterprises	Does not exceed twenty five lakh rupees
Small Enterprises	More than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees
Medium Enterprises	More than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees
Service Sector	
Enterprises	Investment in equipments
Micro Enterprises	Does not exceed ten lakh rupees:
Small Enterprises	More than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees
Medium Enterprises	More than two crore rupees but does not exceed five core rupees

ऐसे एसएमएसई उद्योग द्वारा उक्त वर्णित अध्यादेश व नियमों के अन्तर्गत उद्योग विभाग को Declration of Intent प्रस्तुत किया जाकर वैद्य Acknowledgement Certificate प्राप्त कर लिया गया हो तो उन उद्योगो/कारखानो व बायलर्स का निरीक्षण नहीं किया जावे ।

राज्य सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई वाले ऐसे उद्योगों को जिन्होंने Acknowledgement Certificate प्राप्त कर लिया है उन्हें तीन वर्ष तक निरीक्षण एवं प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की छूट का प्रावधान है।

यदि उद्यमी एम.एस.एम.ई की परिभाषा में आता है एवं उसके द्वारा Acknowledgement Certificate प्राप्त कर लिया है एवं उसको उद्योग चलाने के लिये कारखाना लाइसेंस/अनुमोदन व अन्य विभागीय स्वीकृतियों की विशेष आवश्यकता हो तो स्पष्ट उल्लेख करते हुए ऑन लाइन आवेदन करें।

संलग्न: 1. राजस्थान एम.एस.एम.ई ऑर्डिनेंस, 2019  
2. राजस्थान एम.एस.एम.ई. नियम, 2019



( मुकेश जैन )

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,  
राजस्थान, जयपुर